



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Form-RA1

EV 684106

Affidavit for Bank Accounts of Project (Notarized)

(For New Registration only)

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority  
Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan,  
Kala Kankar House, Old Hyderabad, Lucknow – 226007

Sub: Affidavit / Declaration for Bank Accounts for the project AWADH AMBROSIA

I, Siddhant Developer Promoter of the proposed project / duly authorized by the promoter of the proposed project, do hereby solemnly declare, undertake and state that the following bank accounts have been opened for the project AWADH AMBROSIA.

I also undertake that any secured / unsecured project finance availed for the project will be deposited in the separate account only.

	Collection Account	Separate Account	Transaction Account
Name on Account	Siddhant Developer Awadh Ambrosia Rera Collection Account	Siddhant Developer	Siddhant Developer Awadh Ambrosia Rera Retention A/C No.
Account Number	386905001348	386905001346	386905001347
Bank Name	ICICI BANK	ICICI Bank	ICICI Bank
Branch Name	SIKRAUL	SIKRAUL	SIKRAUL
Branch Address	SIKRAUL, VARANASI	SIKRAUL, VARANASI	SIKRAUL, VARANASI
IFSC Code	ICIC0003869	ICIC0003869	ICIC0003869

Sushil Ku Rai  
Deponent

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.  
Verify by me at Varanasi on this 25<sup>th</sup> date of May, 2021.

Sworn Before me & Solemny  
affirm Signature and Contents  
Verified today

Sushil Ku Rai  
Deponent

V.P. SINGH Advocate  
Notary Govt. of India, Varanasi



कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2015  
सेवा में,

अधिकारी, वाराणसी  
दिनांक: जून 25, 2016

अधिकासी अभियन्ता, (भवन),  
वाराणसी विकास प्राधिकारण,  
वाराणसी

विषय:- श्रीमती अशरफी देवी पत्नी श्री नरेन्द्र नारायण सिंह, सुरेन्द्र नारायण पुत्र स्व० जितेन्द्र नारायण सिंह, बाल कृष्ण नारायण सिंह व देव कृष्ण नारायण सिंह पुत्रगण स्व० लालजी सिंह, दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० कृष्ण प्रसाद सिंह डेवलपर:-सिद्धान्त डेवलेपर थ्रू पार्टनर विजय कुमार सिंह पुत्र स्व० गंगा सिंह द्वारा ओवर पार्ट आफ एस. एम० प्लाट नं०-56 व 57 ग्राम- धनेशरी, परगना-अठगावा, तहसील-पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्रांक: 10/16/गु० हा०/वि०प्रा०/विन्यास/2016-17 दिनांक: 13.06.2016।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा अग्निशमन सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या दिनांक: 21.06.2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

**A. भवन की संरचना:-**

LAND AREA AS PER DEED=	7598.85 SQ.MT.
LAND AREA AS PER SITE =	7598.83 SQ.MT.
LAND LEFT FOR WIDTH=	146.91 SQ.MT.
ACTUAL LAND AREA=	7451.92 SQ.MT.
GR.COV. ACHIVE 28.15% =	2097.11 SQ.MT.
LESS AREA OF 9 LIFTS=	23.18 SQ.MT.
TYPICAL FLOOR AREA=	2073.93 DQ.MT.
PARK PROPOSED@15%=	1118.00SQ.MT.
FAR PERMISSABLE @ 2.5=	18629.80 SQ.MT.
TOTAL HEIGHT OF BUILDING=	35.70 MT.
FAR 2.5=	18597.73 SQ.MT.
PARKING REQUIRED=	279.00 E.C.S.
PARKING ECS IN BASEMENT=	169.76 E.C.S.
PARKING ECS IN STILT=	112.92 E.C.S.
TOTAL PARKING AVAILABLE=	282.68 E.C.S.
NOS OF 2 BHK UNIT=	128 UNITS
NOS OF 3 BHK UNIT=	64 UNITS
COV. AREA ON BASEMENT=	5432.30 SQ.MT.
COV. AREA ON STILT FLOOR=	3161.74 SQ.MT.
AREA UNDER 5 SHOPS IN STILT=	67.34 SQ.MT.
TOTAL COVERED AREA ON STILT=	3229.08 SQ.MT.
COVERED AREA ON 1ST FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 2ND FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 3RD FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 4TH FLOOR =	2073.93 SQ.MT.

  
C.F. VNS.

COVERED AREA ON 5TH FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 6TH FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 7TH FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 8TH FLOOR =	2073.93 SQ.MT.
COVERED AREA ON 9TH FLOOR =	713.70 SQ.MT.
COVERED AREA ON 10TH FLOOR =	713.70 SQ.MT.
COVERED AREA ON 11TH FLOOR =	521.55 SQ.MT.
TORAL COVERED AREA ALL FLOORS =	18597.73 SQ.MT.
AREA OF MUMTY=	291.44 SQ.MT.
AREA OF MACHINE=	34.72 SQ.MT.


B. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-IV आवासीय भवन (ए-4)-3 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

C. ढांचागत व्यवस्था:-

1. पहुँच मार्ग:- प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। जिसकी पेन्टेड रोड की चौड़ाई 04.14 मीटर है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में दो प्रवेश द्वार बनाया जाना प्रस्तावित है, परन्तु गेट की चौड़ाई का उल्लेख नहीं है।
3. सेटबैक :- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:-  
ए- अग्रभाग- 10 मीटर  
बी- पृष्ठभाग- 10 मीटर  
सी- पार्श्व प्रथम- 10 मीटर  
डी- पार्श्व द्वितीय- 10 मीटर

सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार नहीं है।

4. निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में 10वें मंजिल तक 06 स्टेयर केस एवं 11वें मंजिल तक 02 स्टेयर केस बनाया जाना है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. ऊँचाई- प्रस्तावित भवन की भूमि तल से ऊँचाई 35.70 मीटर है।
6. रिफ्यूज एरिया का विवरण :- निल

  
C.F.O. D.  
VNS.

- प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली:- एन.बी.सी.-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
1. प्रवेश द्वार- प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर एवं ऊँचाई 05.00 मीटर से कम न रखी जाय।
  2. निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन में स्टेयर केस 1.50 मीटर से कम चौड़ाई का न बनाया जाय तथा 11वें एवं 10वें तल से आने वाले स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाये, किसी भी दशा में स्टेयर केस को ऊपरी तलों से बेसमेन्ट तक निरन्तरता नहीं होनी चाहिए या भूतल पर चार घंटा रेटिंग का स्मोक चेकडोर आई0एस0 3614(पार्ट-1):1966 के अनुरूप लगाया जाय।
  3. सेटबैक:- प्रस्तावित भवन के कम सेटबैक को नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के पार्ट III के क्लाज 8.2.3.2 (बी) एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित

2010 के क्लाज 3.4.5 के प्रस्तर IV (ख) के अनुसार ऊपरी तलों पर एक सेटबैक के रूप में छोड़ा जाना आवश्यक होगा। सैटबैक में किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।


4. भूमिगत टैंक— एन.बी.सी.—2005 के मानकों के अनुसार 75000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है।
5. पम्प:— भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम क्षमता का इलेक्ट्रिक पम्प, 1620 एल0पी0एम क्षमता का डीजल पम्प व 180 एल0पी0एम क्षमता का जॉकी पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. होजरील:— प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.—3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम:— प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. यार्ड हाइड्रेन्ट :— प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रांच एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.— 13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
9. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम :— प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
10. स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम :— प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
11. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :— प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
12. टैरेस टैंक:— प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 25,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. टैरेस पम्प:— प्रस्तावित भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प क्षमता 900 एलपीएम स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
14. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):— प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.—15683:2006 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
15. एक्विजट साइनेज:— प्रस्तावित भवन में एक्विजट साइनेज स्थापित किया जाना प्राविधानित है।
16. पी0ए0 सिस्टम:— पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया जाना प्राविधानित है।
17. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में अलग-अलग दो रैम्प का निर्माण किया जाना प्राविधानित है। जिसका ढाल 1:8 से 1:10 के मध्य रखा जाय एवं उस पर फिसलन रहित सतह बिछाई जाय।
18. प्रस्तावित भवन की बेसमेन्ट लाइन भवन इनवेलप के बाहर है। बेसमेन्ट के स्लैब का 45 टन लोड वियरिंग क्षमता का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चलर इन्जीनियर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

  
C.F.O.  
VNS.

19. प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
20. प्रस्तावित भवन में विद्युत व्यवस्था आई0एस0 1646:1997 के अनुरूप किया जाय।
21. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में पकाश एवं संवातन की समुचित व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
22. फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या:एफ0एस0-1076 / 2012 दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
23. समस्त निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुरूप होगा।
24. बेसमेन्ट में ट्रेवेलिंग डिसटेन्स 2200 मीटर से ज्यादा न रखा जाय।
25. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट का प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट 11 के क्लोज-12.9 के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार श्रीमती अशरफी देवी पत्नी श्री नरेन्द्र नारायण सिंह, सुरेन्द्र नारायण पुत्र स्व0 जितेन्द्र नारायण सिंह, बाल कृष्ण नारायण सिंह व देव कृष्ण नारायण सिंह पुत्रगण स्व0 लालजी सिंह, दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद सिंह, डेवलपर:-सिद्धान्त डेवलपेर थू पार्टनर गिजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 गंगा सिंह द्वारा ओवर पार्ट आफ एस.एम0 प्लॉट नं0-56 व 57 गंगेश्वर धनेशरी परगना-अहगावा, तहसील-पिण्डरा, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण के इस शर्त के साथ पत्र निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन का उपयोग करना से पूर्व वे अपने भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को एवं यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका अग्निशमन विभाग से कक्षाकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।  
संलग्नक- अनुसूचित मानचित्र।

  
(साक 25/16)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
वाराणसी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
वाराणसी

प्रतिलिपि:-

1. अग्निशमन अधिकारी क्षेत्रांत वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक 22.08.2016 के साथ संलग्नार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2.  सिद्धान्त डेवलपेर थू पार्टनर गिजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 गंगा सिंह को उपरोक्तानुसार अनुसूचित किये जाने हेतु प्रेषित।